न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांकः 23.6.2025

मुकदमा नम्बर 11/2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/19
उदाराम जाखड़ पुत्र जोरा राम जाति जाट निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री सुखदेव व्यास अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री राजूराम जाखड़ अप्रार्थी संख्या 2 की ओर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम सपठित धारा 88 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र निम्नलिखित आधारो पर सादर प्रस्तुत हैं कि प्रार्थी ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी हैं। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1081 क्षेत्रफल 7.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 745 क्षेत्रफल 12.7300 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है । वादगत खेतों में प्रार्थी का 1⁄2 हिस्सा स्थित हैं जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी को वादगत खेतों की संयुक्त खातेदारी भूमि अपने पिता जोराराम जी की मृत्यपरांत विरास्तन प्राप्त हुई हैं। वादगत कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया तब प्रार्थी का सही नाम "उदाराम पिसरान जोराराम" दर्ज किया गया परन्तु बाद में जमाबन्दी तैयार करते समय लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "उदा पुत्र जोरा जाति जाट साकिन देह खातेदार" दर्ज कर दिया गया जो वादगत खेतों के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। वादगत खेतों के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम "उदा पुत्र जोरा जाति जाट साकिन देह खातेदार" दर्ज चला आ रहा है जबकि प्रार्थी का वास्तविक, शुद्ध एवं सही नाम "उदाराम जाखड़ पुत्र जोराराम जाति जाट साकिन देह खातेदार" हैं। जो प्रार्थी के सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी का वास्तविक, शुद्ध व सही नाम "उदाराम जाखड़ पुत्र जोराराम जाति जाट साकिन देह खातेदार" दर्ज अंकित चला आ रहा है। वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अशुद्ध दर्ज चला आ रहा होने से प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में व अन्य अनेक प्रकार के कृषि विकास कार्य करने में कठिनाई आ रही है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर अपना वास्तविक व शुद्ध नाम "उदाराम जाखड़ पुत्र जोराराम जाति जाट साकिन देह खातेदार" दर्ज करवाना चाहता हैं। प्रार्थी वादगत खेतों का काबिज काश्त खातेदार होने से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध करवाने का अधिकारी है। वादगत खेतों की कृषि भूमि पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 बैंक से ऋण ले रखा हैं इसलिए अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया हैं । अप्रार्थी संख्या 2 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रार्थी ने वादगत

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:39 IST
Reason: SelfAttested

खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध अंकित करने हेतू अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध दर्ज करने से इन्कार कर दिया । अप्रार्थी द्वारा किये गये इंन्कार के कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेतों का खातेदार कृषक होने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त है। प्रार्थी ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी हैं एवं वादगत खेत गांव बिग्गा की रोही में स्थित हैं इसलिए प्रार्थना पत्र मान्नीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फिस पर एवं हर प्रकार से अन्दर मियांद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 1081 क्षेत्रफल 7.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 745 क्षेत्रफल 12.7300 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के अशुद्ध नाम "उदा पुत्र जोरा जाति जाट साकिन देह खातेदार" की जगह "उदाराम जाखड़ पुत्र जोराराम जाति जाट साकिन देह खातेदार" दर्ज करके राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान किया जावें । अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थी हो या दौराने प्रार्थना पत्र हितकर प्रार्थी हो जावें वह भी प्रदान किया जावें ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाक अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1081 क्षेत्रफल 7.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 745 क्षेत्रफल 12.7300 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के अशुद्ध नाम "उदा पुत्र जोरा जाति जाट साकिन देह खातेदार" के स्थान पर शुद्ध नाम "उदाराम जाखड़ पुत्र जोराराम जाति जाट साकिन देह खातेदार" दर्ज करके राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 23.6.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:39 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)